न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—35 / 2016

1. सोहनलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
2. गंगाबिशन पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
3. प्रकाश चन्द पुत्र श्री राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
4. जगनलाल पुत्र सांईदास जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
5. प्रिंस छाबड़ा पुत्र नरेन्द्र मोहन जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
6. नवदीप पुत्र नरेन्द्रमोहन जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
7. दीपक पुत्र नरेन्द्रमोहन जाति अरोड़ा अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
8. रामकिशोर पुत्र दिवान चन्द जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
9 नीलमरानी पत्नी नरेन्द्रमोहन जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़

———प्रार्थी

बनाम्

1. प्रबंधक निदेशक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर(संस्था प्रधान) श्री गुरूनानक खालसा महाविद्यालय, अनूपगढ़
2. प्राचार्य, श्रीगुरूनानक खालसा महाविद्यालय, अनूपगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्तागण—

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट — प्रार्थीगण की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 27.08.21**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक प्रार्थीगण के नाम से चक 16 ए तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.—298 / 448 मुरब्बा नं.—10 में कृषि भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार अंकन है। जमाबंदी की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 16 ए तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.—298 / 448 पत्थर सं.—300 / 448 वा अन्य मुरब्बा नं. के काश्ताकारान के लिए आवागमन हेतु सार्वजनिक रूप से जनरल कालानी कण्डीशन के तहत राजस्व नियमों के मध्यनजर गैर मुमकिन रास्ता मुरब्बा नं.—10 पत्थर सं.—298 / 448 के किला नम्बर रिकॉर्ड में अंकन है। पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई प्रमाणित प्रतिलिपि पी—35 क्रम संख्या—1527 दिनांक—20.05.2016 संलग्न प्रार्थना पत्र है। गैर मुमकिन स्वीकृत शुदा उक्त रास्ता अनूपगढ़—नाहरॉवाली रोड़ से लिंक में डी. ए. वी स्कूल एवं माता मोहिनीदेवी महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाऐं बनी हुई है। उक्त रास्ता से चक 16 ए के काश्तकारान आवागमन करते है व ट्रैक्टर ट्रॉलीयॉ तथा भारी वाहन इत्यादि भी आते जाते है यहां यह निवेदन करना युक्तियुक्त होगा कि उक्त गैर मुमकिन रास्ता पर खडवंजा सड़क बनी हुई है जिससे यातायात का भी आवागमन रहता है। अप्रार्थीगण खालसा महाविद्यालय के लिए भी उक्त रास्ता आवागमन के उपयोग में लाया जाता है महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वार बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लिऐ बिना सार्वजनिक स्वीकृतशुदा रास्ता पर प्रवेश द्वार बनाये जाने क प्रयास में है। उक्त प्रवेश द्वार बनाये जाने से रास्ता जो मौका स्वीकृतशुदा चालू है उससे रास्ता आधा हो जायेगा व कृषि सयंत्र ट्रेक्टर ट्रालीयॉ आदि का आवागमन बाधित हो जायेगा तथा उक्त महाविद्यालय की प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश द्वार पर संभवतः गेट लगा दिया जावेगा।

जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध स्वीकृति के सार्वजनिक रास्ता पर अवैध निर्माण किये जाने की फिराक में है जिसका उन्हे कतई विधिक अधिकार नही है व उक्त अवैध निर्माण से हम प्रार्थीगण के समस्त सुखाधिकार प्रभावित है व प्रार्थीगण के अधिकारों के संरक्षण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं.–1 व 2 द्वारा खालसा महाविद्यालय के नाम से उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता पर मुख्यद्वार का निर्माण करने के उदेश्श्य का ज्ञान होने पर प्रार्थीगण ने अरसा दो रोज पूर्व अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर उन्हें अवगत करवाया कि उक्त गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृतशुदा है जो मौका पर चालू है इसलिए आप उक्त रास्ता पर किसी तरह से मुख्य द्वार का निर्माण ना करे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का स्पष्ट व एलानिया धमकी दी कि हम शीघ्र ही अपने महाविद्यालय के लिए इस रास्ता पर अपना मुख्य द्वार बनाकर रहेगें।

महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लिये बिना सार्वजनिक स्वीकृतशुदा रास्ता पर प्रवेश द्वार बनाये जाने के प्रयास में है। उक्त प्रवेश द्वार बनाये जाने से रास्ता जो मौका स्वीकृतशुदा चालू है उससे रास्ता आधा हो जायेगा व कृषि संयत्र ट्रेक्टर ट्रॉलीया आदि का आवागमन बाधित हो जायेगा तथा उक्त महाविद्याालय की प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश द्वार पर संभवत गेट भी लगा दिया जावेगा यदि अप्रार्थीगण अपने अनुचित मकसद मे कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थीगण अपने सुखाधिकार से वंचित हो जायेगे। जिससे प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की एवज में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण सं.–01 एवं 2 की ओर से जरिए प्रधानाचार्य ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित रास्ता जनरल कालोनी कंडीशन के तहत सार्वजनिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज हेतु स्वीकृत है। खालसा कॉलेज का परिसर मुरब्बा नं.–298/449 मे निर्मित है। चूंकि खालसा कॉलेज परिसर मे आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मुरब्बा नं. –298/448 के किला नं.–1,2,9,10,11,12,20,21,23 के मालिकान ने स्वेच्छा खालसा कॉलेज हेतु अपनी कृषि भूमि में से रास्ता मंजूर करवाया मुरब्बा नं.–298/448 की उपरोक्त किलाजात की कृषि भूमि माता मोहिनी देवी बेदी मैमोरियल शिक्षा समिति अनूपगढ़ तथा श्री कंवर सिंह पुत्र प्रताप सिंह की मलकियती थी। उक्त दोनों ने शपथ पत्र देकर अपनी कृषि भूमि में रास्ता मंजूर करवाया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा रास्ता मंजूर हेतु जो प्रपत्र भरा गया। उक्त प्रपत्र की बिन्दू संख्या–8 में रास्ता का औचित्य कॉलेज में आने जाने के लिए रास्ता चाहते है बतलाया गया था। उक्त रास्ता कभी भी मुरब्बा के अन्य काश्तकारान अथवा आम जनता के लिए मंजूर नहीं किया गया। रास्ता केवल खालसा कॉलेज हेतु ही दिया गया था। उक्त रास्ता मुख्य सड़क नाहरॉवाली रोड़ से खालसा कॉलेज परिसर पर आकर समाप्त हो जाता है। जिससे यह स्पष्ट है कि रास्ता केवल खालसा कॉलेज हेतु प्रयोग में लाया जाता था व केवल खालसा कॉलेज हेतु ही स्वीकृत हुआ था। विवादित रास्ता खालसा कॉलेज परिसर को मुख्य सड़क से लिंक करता है। मुरब्बा नं.–300/448 के लिए यह विवादित रास्ता प्रयोग में नही आता है। मुरब्बा नं. –300/448 में से अनूपगढ बीकानेर मुख्य सड़क गुजरती है। इसलिए इस मुरब्बा को ओर किसी रास्ता की आवयकता नहीं है। प्रार्थी का किला नं.–1 मुरब्बा नं.–298/448 का कुछ हिस्सा नाहरॉवाली मुख्य सड़क पर लगता है। मुरब्बा नं.–298/448 के काश्ताकारों हेतु इस मुरब्बा के किला नं.–5,6,15,16,25 में रास्ता मंजूर है। विवादित रास्ता से खालसा कॉलेज के अलावा कोई अन्य कोई आवागमन नही करता है। चक 16 ए के लोग विवादित रास्ता से आवागमन नहीं करते है ना ही चक 16 ए के काश्तकारान द्वारा रास्ता की मांग ही की गई है। विवादित रास्ता खालसा कॉलेज के आवागमन हेतु हैं। प्रार्थीगण सभी

व्यापारी है तथा कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर बेचने का कार्य करते हैं। कोई भी प्रार्थी काश्तकार नही है। प्रार्थीगण ने अपने मुरब्बा नं.–298/448 की कृषि भूमि में कभी कोई खेती नहीं की है। प्रार्थीगण अपने व्यवसायिक लाभ हेतु विवादित रास्ता को रास्ता आम बतला रहे है। सौन्दर्यकरण के उदेश्य से कोलिज परिसर की पहचान के उदेश्य से प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। प्रवेश द्वार के निर्माण से रास्ता किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगा। प्रार्थीगण को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने कभी भी उक्त रास्ता का प्रयोग नहीं किया है ना ही प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट किया है कि वे कितने समय से उक्त रास्ता का प्रयोग कर रहे है। प्रार्थीगण अपने व्यवसायिक उदेश्यों की पूर्ति हेतु न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थी खालसा कॉलेज ने प्रवेश द्वार हेतु ग्राम पंचायत 15 ए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा भी मौका की जॉच करवाई जाकर अप्रार्थी खालसा कॉलेज को प्रवेश द्वार निर्माण करने की मंजूरी दिये जाने की अनुशंषा की है। रास्ता मंजूर किये जाने के तहसीलदार के प्रपत्र व मूल मालिकों के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि रास्ता खालसा कॉलेज हेतु ही मंजूर किया गया था। अगर उक्त रास्ता को रास्ता आम घोषित किया जाता है तो कॉलेज प्रशासन को अपूर्णीय क्षति होगी व कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी। प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक प्रार्थीगण के नाम से चक 16 ए तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.–298/448 मुरब्बा नं.–10 में कृषि भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार अंकन है। चक 16 ए तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं. –298/448 पत्थर सं.–300/448 वा अन्य मुरब्बा नं. के काश्ताकारान के लिए आवागमन हेतु सार्वजनिक रूप से जनरल कॉलोनी कण्डीशन के तहत राजस्व नियमों के मध्यनजर गैर मुमकिन रास्ता मुरब्बा नं.–10 पत्थर सं.–298/448 के किला नम्बर रिकॉर्ड में अंकन है। गैर मुमकिन स्वीकृत शुदा उक्त रास्ता अनूपगढ़–नाहरॉवाली रोड़ से लिंक में डी. ए. वी. स्कूल एवं माता मोहिनीदेवी महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाऐं बनी हुई है। उक्त रास्ता से चक 16 ए के काश्तकारान आवागमन करते है व ट्रैक्टर ट्रॉलीयॉ तथा भारी वाहन इत्यादि भी आते जाते है उक्त गैर मुमकिन रास्ता पर खडवंजा सड़क बनी हुई है जिससे यातायात का भी आवागमन रहता है। अप्रार्थीगण खालसा महाविद्यालय के लिए भी उक्त रास्ता आवागमन के उपयोग में लाया जाता है महाविद्यालय की प्रबंध समिति द्वार बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लिऐ बिना सार्वजनिक स्वीकृतशुदा रास्ता पर प्रवेश द्वार बनाये जाने के प्रयास में है। उक्त प्रवेश द्वार बनाये जाने से रास्ता जो मौका स्वीकृतशुदा चालू है उससे रास्ता आधा हो जायेगा व कृषि सयंत्र ट्रेक्टर ट्रालीयॉ आदि का आवागमन बाधित हो जायेगा तथा उक्त महाविद्यालय की प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश द्वार पर संभवतः गेट लगा दिया जावेगा। जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध स्वीकृति के सार्वजनिक रास्ता पर अवैध निर्माण किये जाने की फिराक में है जिसका उन्हे कतई विधिक अधिकार नही है व उक्त अवैध निर्माण से हम प्रार्थीगण के समस्त सुखाधिकार प्रभावित है।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 16 ए तहसील अनूपगढ के पत्थर संख्या–298/448, पत्थर संख्या–300/448 व अन्य मुरब्बा के काश्तकारान के आवागमन हेतु सार्वजनिक रूप से जनरल कॉलोनी कंडीशन के तहत गैर मुमकिन रास्ता पत्थर संख्या–298 /448 के किला नं.–1,2,9,10,11,12,19,20,21,23 में स्वीकृतशुदा है। उक्त रास्ता अनूपगढ़ नाहरॉवाली से लिंक करता है। जिसमें समस्त प्रकार का आवागमन चलता है। इस रास्ता पर अप्राथी संख्या–01 एवं 02 ने प्रवेश द्वार हेतु ग्राम

पंचायत 15 ए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त रास्ता पर प्रवेश द्वार निर्माण करने की मंजूरी की अनुशंषा प्राप्त कर ली गई है। अगर अप्रार्थीगण उक्त सार्वजनिक रास्ता पर प्रवेश द्वार का निर्माण करने में सफल हो जाते है तो उक्त रास्ता आम आवागमन हेतु उपयोग, उपभोग का ना रहकर केवल व्यक्तिगत रास्ता प्रतिवादी सं.–01 एवं 02 के उपयोग एवं उपभोग का होकर रह जायेगा। जिससे आमजन के साथ–साथ प्रार्थीगण भी उक्त रास्ता को प्रयोग करने से वंचित हो जाऐगें। वस्तुतः उक्त रास्ता आमजन के लिए सार्वजनिक रास्ता होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। अगर प्रार्थीगण उक्त सार्वजनिक रास्ता पर प्रवेश द्वार का निर्माण करने में सफल हो जाते है तो उक्त रास्ता आम आवागमन हेतु उपयोग, उपभोग का ना रहकर केवल व्यक्तिगत रास्ता प्रतिवादी सं.–01 एवं 02 के उपयोग एवं उपभोग का होकर रह जायेगा। इसके विपरीत अगर उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते पर प्रतिवादी सं.–01 एवं 02 को प्रवेश द्वार बनाने की अनुमति नहीं भी जाती है तो अप्रार्थी कोई भी असुविधा नहीं होगी। क्यों कि प्रार्थीगण तो उक्त रास्ते का प्रयोग भी कर रहे है तो ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है न की अप्रार्थी सं.–01 एवं 02 के पक्ष में।

3. अपूर्णीय क्षतिः– जहॉ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है अगर अप्रार्थीगण उक्त सार्वजनिक रास्ता पर प्रवेश द्वार का निर्माण करने में सफल हो जाते है तो उक्त रास्ता आम आवागमन हेतु उपयोग, उपभोग का ना रहकर केवल व्यक्तिगत रास्ता प्रतिवादी सं. –01 एवं 02 के उपयोग एवं उपभोग का होकर रह जायेगा। जिससे प्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित होने के कारण अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक चक 16 ए तहसील अनूपगढ के पत्थर संख्या–298/448, पत्थर संख्या–300/448 व अन्य मुरब्बा के काश्तकारान के आवागमन हेतु सार्वजनिक रूप से जनरल कॉलोनी कंडीशन के तहत स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता पत्थर संख्या–298/448 के किला नं.–1,2,9,10,11,12,19,20,21,23 में स्वीकृतशुदा गैरमुमकिन रास्ता पर किसी प्रकार से मुख्य प्रवेशद्वार का निर्माण करने व करवाने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई निर्माण ना करें जिससे उक्त चालू स्वीकृतशुदा सार्वजनिक रास्ता का आवागमन बाधित होता हो।

निर्णय आज दिनांक **27.08.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़